फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा .....मुकाम.....भादरा.....

..... मोहम्मद शरीफ .....बनाम्..... जुबेदा आदि .....

किस्म मुकदमा.....अन्तर्गत धारा 53.188 .....नं०.... 256 / 18.....सन्.....2018 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
18.12.2018	आज यह वाद जरिये वकील वादी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन की जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2019 को पेश है।	
21/2/19	वकील बादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थीउप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते...d..... दिनांक 28/2/19.....को पेश हो।	
28/2/19	पत्र[illegible] पीठासीन अ[illegible] दोपहर..... दिनांक 18/2/19 [illegible] पेश हो।	
19/3/19	आज यह प्रकरण वादी मोहम्मद शरीफ की ओर से जरिये मु॰आम तथा वकील श्री दिवान सिंह के वकालतनामा सहित दावा पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। मोहम्मद शरीफ की ओर से बाबत पति मोहम्मद शरीफ पुत्र नेक मोहम्मद की ओर से श्री दिवान सिंह ने वकालतनामा पेश किया है। तथा वाद की रजीनामा होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अतः दावा पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण समाप्त करें।	पा॰ 6/1 प० कर्ता सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा